दृष्टि The Vision

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल) विधेयक, 2023

प्रिलिम्स के लिये:

भारत का चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC), भारत का सर्वोच्च न्यायालय, संविधान का अनुच्छेद 324

मेन्स के लिये:

मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिये प्रस्तावित विधेयक, इसका महत्त्व और संबंधित चिंताएँ

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

राज्यसभा ने हाल ही में **मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें एवं कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023** को मंज़ूरी दे दी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) तथा चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है।

- इस कानून का उद्देश्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्देश के जवाब में नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- यह **विधेयक चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 का स्थान लेता** है।
- यह CEC और ECs की नियुक्ति, वेतन एवं निष्कासन से संबंधित है।
  - **नियुक्ति प्रक्रिया:**
    - CEC और EC की **नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर** राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
      - सदस्य के रूप में **लोकसभा में विपक्ष का नेता, यदि लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता नहीं दी गई है, तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल** का नेता शामिल होगा।
      - इस **समिति में कोई पद रिक्त होने पर भी चयन समिति** की सिफारिशें मान्य होंगी।
    - विधेयक में CEC और EC के पदों पर विचार करने के लिये पाँच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने हेतु एक खोज समिति (Search Committee) की स्थापना का प्रस्ताव है।
      - खोज समिति की अध्यक्षता **कैबिनेट सचिव** करेंगे और इसमें सचिव के पद से निम्न पद वाले दो सदस्य भी शामिल होंगे जिनके पास चुनाव से संबंधित मामलों का ज्ञान तथा अनुभव होगा।
  - **वेतन एवं शर्तों में परिवर्तन:**
    - CEC और ECs का वेतन एवं सेवा शर्तें **कैबिनेट सचिव** के सामान होंगी।
    - 1991 के अधिनियम के तहत इनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर था।
  - **हटाने/निष्कासन की प्रक्रिया:**
    - यह बिल संवैधानिक प्रावधान (**अनुच्छेद 324 (5)**) को बरकरार रखता है जो CEC को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह निष्कासन की अनुमति देता है, जबकि EC को केवल CEC की अनुशंसा पर हटाया जा सकता है।
  - **CEC और EC के लिये संरक्षण:**
    - बिल, CEC और EC को **उनके कार्यकाल के दौरान की गई कार्रवाई से संबंधित कानूनी कार्यवाही** से बचाता है, बशर्ते कि इस तरह की कार्रवाई आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में की गई हो।
    - संशोधन का उद्देश्य इन अधिकारियों को उनके आधिकारिक कार्यों से संबंधित सिविल या आपराधिक कार्यवाही से बचाव करना है।

वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त किस प्रकार नियुक्त किये जाते हैं?

- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - संविधान के **भाग XV (चुनाव) में सिर्फ 5 अनुच्छेद (324-329)** हैं।

    - संविधान CEC और EC की नियुक्ति के लिये एक विशिष्ट विधायी प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।
    - संविधान का अनुच्छेद 324 मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की ऐसी संख्या, यदि कोई हो, से मिलकर बने चुनाव आयोग में 'चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण' निहित करता है, जिसे राष्ट्रपति समय-समय पर तय करें।
        - राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले संघ परिषद् की सलाह पर इनकी नियुक्ति करते हैं।
        - विधि मंत्री विचार के लिये प्रधानमंत्री को उपयुक्त उम्मीदवारों के एक निकाय का सुझाव देते हैं। राष्ट्रपति PM की सलाह पर नियुक्ति करते हैं।
- **निष्कासन:**
    - वे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी उन्हें हटाया जा सकता है।
    - CEC को केवल संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान निष्कासन की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।
    - CEC की अनुशंसा को छोड़कर किसी भी अन्य EC को निष्कासित नहीं किया जा सकता है।

विधेयक से संबंधित चिंताएँ क्या हैं?

- **पारदर्शिता और स्वतंत्रता:**
    - रिक्ति होने पर भी चयन/प्रवरण समिति की अनुशंसाओं को मान्य रखने से कुछ परिस्थितियों के दौरान **सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का एकाधिकार** हो सकता है, जिससे समिति की विविधता एवं स्वतंत्रता कमज़ोर हो सकती है।
- **न्यायिक बेंचमार्क से कार्यपालिका नियंत्रण में परिवर्तन:**
    - CEC तथा EC के वेतन को **मंत्रिमंडल सचिव** के समान करना, जिनका वेतन कार्यपालिका द्वारा निर्धारित किया जाता है, **संभावित सरकारी प्रभाव** के बारे में सवाल उठाता है।
    - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के विपरीत, जो संसद के एक अधिनियम द्वारा तय किया जाता है, यह उक्त **परिवर्तन निर्वाचन आयोग की वित्तीय स्वतंत्रता** को संकट में डाल सकता है।
- **सिविल सेवकों के लिये पात्रता सीमित करना:**
    - केवल सरकार के सचिव के समकक्ष पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिये पात्रता को सीमित करने से **संभावित रूप से योग्य उम्मीदवार बाहर हो सकते हैं**, जिससे ECI में पृष्ठभूमि तथा विशेषज्ञता की विविधता सीमित हो सकती है।
- **समतुल्यता की कमी से संबंधित चिंताएँ:**
    - यह विधेयक उस संवैधानिक उपबंध को बनाए रखता है जो CEC को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही निष्कासित करने की अनुमति देता है, जबकि EC को केवल CEC की सिफारिश पर ही निष्कासित किया जा सकता है।
        - **निष्कासन प्रक्रियाओं में समतुल्यता की कमी** निष्पक्षता पर सवाल उठा सकती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. भारत का चुनाव आयोग पाँच सदस्यीय निकाय है।
2. संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. निर्वाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवाद निपटाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 3

उत्तर: (d)

?????:

प्रश्न. भारत में लोकतंत्र की गुणता बढ़ाने के लिये भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्त्वपूर्ण हैं? (2017)

मानव तस्करी

प्रिलिम्स के लिये:

ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स II, इंटरपोल, मानव तस्करी के रूप, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, **अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956**, अनुच्छेद 23, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 , अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, तस्करी पर सार्क अभिसमय।

मेन्स के लिये:

भारत में मानव तस्करी की स्थिति

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंटरपोल ने **ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स II** का संचालन किया जिसमें मानव तस्करी के शिकार लोगों का उपयोग करते हुए चलाये जा रहे **धोखाधड़ी योजनाओं** के बढ़ते नेटवर्क को उजागर किया गया है।

- इसने 27 एशियाई और अन्य देशों में मानव तस्करी तथा प्रवासी तस्करी से निपटने के लिये कानून प्रवर्तन को संगठित किया।

ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स II के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- **गिरफ्तारियाँ और आरोप:** ऑपरेशन के फलस्वरूप **मानव तस्करी, पासपोर्ट जालसाज़ी, भ्रष्टाचार, दूरसंचार धोखाधड़ी और** यौन शोषण जैसे आरोपों में विभिन्न देशों में 281 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- **बचाव कार्य और जाँच:** इस ऑपरेशन द्वारा मानव तस्करी पीड़ित 149 लोगों को बचाया गया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मानव तस्करी से पीड़ितों हेतु खोज कार्य शुरू किया गया।
- **तेलंगाना मामला:** इंटरपोल के अनुसार, **तेलंगाना पुलिस ने भारत में इस प्रकार का पहला मामला** दर्ज किया है **मानव तस्करी के शिकार लोगों का उपयोग करते हुए धोखाधड़ी योजनाओं का संचालन किया जा रहा था।**
  - इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देश में प्रलोभन देकर लाए गए एक अकाउंटेंट को अमानवीय परिस्थितियों में ऑनलाइन धोखाधड़ी योजनाओं में भाग लेने के लिये बाध्य किया गया।
  - प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, फिरौती भुगतान करके अकाउंटेंट को सुरक्षित बचा लिया गया है।

नोट: इंटरपोल, जिसे **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (ICPO) के नाम से भी जाना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है।** इंटरपोल का मिशन विश्व को सुरक्षित बनाने के लिये पूरे विश्व की पुलिस के साथ मिलकर एक शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिये कार्य करने में सहायता करना है।

- इसमें 196 सदस्य देश हैं। वर्ष 1949 से शामिल भारत इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है।
- यह एक सुरक्षित नेटवर्क की सहायता से देशों को एक-दूसरे से और एक सामान्य सचिवालय से संपर्क बनाने में सहायता करता है। यह उन्हें वास्तविक समय में इंटरपोल के डेटाबेस एवं सेवाओं तक पहुँच भी प्रदान करता है।

भारत में मानव तस्करी की स्थिति क्या है?

- **मानव तस्करी:**
  - मानव तस्करी से आशय लोगों के अवैध व्यापार व शोषण से है, जिसमें जबरन लोगों को **श्रम कार्य, यौन शोषण अथवा अनैच्छिक दासता** के लिये बाध्य किया जाता है।
  - इसमें व्यक्तियों का शोषण करने के उद्देश्य से **धमकी, बलप्रयोग, ज़बरदस्ती, अपहरण, धोखाधड़ी अथवा धोखे के माध्यम से किसी प्रकार की भर्ती, स्थानांतरण, शरण देने के प्रलोभन** आदि का उपयोग शामिल है।
- **भारत में स्थिति:**
  - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो **(National Crime Records Bureau -NCRB)** के अनुसार, भारत में वर्ष 2022 में 6,500 से अधिक मानव तस्करी पीड़ितों की पहचान की गई, जिनमें **से 60% महिलाएँ और लड़कियाँ** थीं।
- **भारत में तस्करी से संबंधित संवैधानिक एवं विधायी प्रावधान:**
  - **संवैधानिक निषेध:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 **मानव तस्करी और बेगार (बिना भुगतान के जबरन श्रम) पर प्रतिबंध** लगाता

है।

- **अनैतकि तस्करी (रोकथाम) अधनियिम, 1956 [Immoral Traffic (Prevention) Act- ITPA]:** यह कानून वशिष रूप से **व्यावसायकि यौन शोषण के लयि तस्करी को रोकने के उद्देश्य से प्राथमकि कानून के रूप में कार्य** करता है।
- **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधनियिम, 2012:** 14 नवंबर, 2012 को अधनियिमति **यह अधनियिम बच्चों को यौन दुर्व्यवहार व शोषण से सुरक्षति करने** हेतु समर्पति है।
    - **इसमें यौन शोषण के वभिन्नि रूपों को स्पष्ट तौर पर परभिाषति कयिा गया है, जसिमें पेनीट्रेटभि और नॉन-पेनीट्रेटभि मामलों के साथ-साथ यौन उत्पीड़न भी शामलि है।**
- **अन्य वशिष्टि कानून:** महलिाओं और बच्चों की तस्करी से संबंधति मामलों की रोकथाम के लयि कई अन्य कानून बनाए गए हैं, जनिमें **बाल ववािह नषिेध अधनियिम, 2006**, **बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधनियिम, 1976**, **बाल श्रम (नषिेध और वनियिमन) अधनियिम, 1986**, **बाल ववािह नषिेध अधनियिम, 1986** शामलि हैं। **मानव अंग प्रत्यारोपण अधनियिम, 1994** और **भारतीय दंड संहति की प्रासंगकि** 372 व 373 **जैसी धाराएँ** वेश्यावृत्तकि के लयि लड़कयिों की बकि्री तथा खरीद संबंधी मामलों का नपिटान करती हैं।
- **राज्य-वशिष्टि वधिान:** राज्यों में भी मानव तस्करी के नपिटान के लयि वशिष्टि कानून बनाए गए हैं। उदाहरण के लयि;**पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधनियिम, 2012**।

- **संबंधति अंतर्राष्ट्रीय अभसिमय:**
    - **संयुक्त राष्ट्र अभसिमय:** भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठति अपराध पर संयुक्त राष्ट्र अभसिमय **(UN Convention on Transnational Organized Crime- UNCTOC)** की पुष्टि की है जसिमें वशिष रूप से व्यक्तयिों, वशिषकर महलिाओं और बच्चों की तस्करी की रोकथाम, शोषण एवं सज़ा से संबंधति प्रोटोकॉल शामलि हैं।
        - **वधिायी कार्रवाई:** उपर्युक्त प्रोटोकॉल के प्रावधानों के साथ संरेखति करने के लयि **आपराधकि कानून संशोधन अधनियिम, 2013** को अधनियिमति कयिा गया था, यह मानव तस्करी को सटीकता से परभिाषति करता है।
    - **तस्करी पर SAARC अभसिमय:** वेश्यावृत्तकि के उद्देश्य **महलिाओं और बच्चों की तस्करी की रोकथाम तथा नपिटान के लयि भारत ने SAARC अभसिमय पर हस्ताक्षर** कयिा है।
    - **महलिाओं के खलिाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभसिमय (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women- CEDAW):** इसे महलिाओं के अधकिारों के अंतर्राष्ट्रीय वधियक के रूप में भी जाना जाता है। इसे वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा अपनाया गया था।
        - भारत द्वारा वर्ष 1993 में CEDAW का अनुमोदन कयिा गया था।

मानव तस्करी के प्रमुख कारण और प्रभाव क्या हैं?

- **कारण:**
    - **नरि्धनता और आर्थकि असमानताएँ:** मनुष्य की आर्थकि कठनिाइयाँ उसे वभिन्नि परस्थितियिों के प्रतसिुभेद्य बनाती हैं, जसिसे वह बेहतर अवसरों के वादों के प्रतसिंवेदनशील हो जाता है, ऐसे में तस्करी से जुड़े लोग इसका लाभ उठाते हैं।
    - **शकि्षा और जागरूकता का अभाव:** तस्करी के जोखमिों के बारे में शकि्षा और जागरूकता की सीमतिता के कारण व्यक्त तिस्करों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतसि से अनजान होता है तथा आसानी से उनके प्रलोभनों की ओर आकर्षति हो जाता है।
    - **संघर्ष, अस्थरिता और वस्थिापन:** देश में अथवा दूसरे देशों के साथ होने वाले संघर्ष, राजनीतकि अस्थरिता अथवा प्राकृतकि आपदाओं से प्रभावति क्षेत्रों के ऐसे लोग जो कहीं और शरण या स्थरिता की तलाश कर रहे होते हैं, इस प्रकार के शोषण का शकिार होते हैं।
    - **सामाजकि बहष्किार और भेदभाव:** महलिाओं, बच्चों, प्रवासयिों और अल्पसंख्यकों सहति सामाजकि तौर पर बहष्किृत समूह अक्सर सामाजकि भेदभाव तथा संरचनागत समर्थन की कमी के कारण अधकि असुरक्षति होते हैं।
    - **सस्ते श्रम और सेवाओं की मांग:** कम लागत वाले श्रम अथवा सेवाओं की तलाश करने वाले उद्योग कभी-कभी शोषणकारी प्रथाओं को अनदेखा कर देते हैं, जसिसे श्रम शोषण की प्रथा बनी रहती है।
    - **ऑनलाइन शोषण और प्रौद्योगकिी:** तकनीकी प्रगतकि के कारण ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रयिा सुवधिाजनक हो गयी है, साथ ही इसने तस्करों के लयि वभिन्नि भ्रामक तरीकों से पीड़तिों को लुभाना आसान बना दयिा है।
- **प्रभाव:**
    - **मनोवैज्ञानकि प्रभाव:** इसके पीड़तिों पर गंभीर मनोवैज्ञानकि प्रभाव देखे जा सकते हैं, जसिमें **अवसाद, चतिा व वशि्वासघात** की भावना शामलि है, ये सभी दीर्घकालकि मानसकि स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती हैं।
    - **शारीरकि स्वास्थ्य जटलिताएँ:** पीड़तिों को अक्सर शारीरकि शोषण, उपेक्षा और अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल का सामना करना पड़ता है, जसिसे वभिन्नि स्वास्थ्य जटलिताएँ उत्पन्न होती हैं।
    - **स्वतंत्रता और अधकिारों की क्षत:ि** तस्करी से पीड़ति व्यक्त िअपनी स्वायत्तता और मूल मानवाधकिारों से वंचति होता है और नरिंतर भय में रहता हैं।
    - **सामाजकि कलंक की भावना और अलगाव:** जीवति बचे लोगों को सामाजकि कलंक की भावना और बहष्किार का सामना करना पड़ता है, ऐसे में शोषण से बच जाने के बाद भी समाज एक नई चुनौती प्रस्तुत करता है।
    - **वैश्वकि परणिाम:** मानव तस्करी आपराधकि नेटवर्क के वैश्वकि वसि्तार को बढ़ावा देती है, जो देशों के सामाजकि व आर्थकि व्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावति करती है तथा मानवाधकिार के सुदृढ़ीकरण के प्रयासों को कमज़ोर करती है।

आगे की राह

- **शकि्षा और जागरूकता के माध्यम से रोकथाम:** समुदायों, वशिष रूप से **कमज़ोर समूहों को तस्करों के जोखमिों और रणनीतकि के बारे में सूचति व जागरूक करने के लयि व्यापक शकि्षा कार्यक्रमों का क्रयिान्वयन** आवश्यक है।
    - तस्करी के प्रतसितर्कता को बढ़ावा देने और व्यक्तयिों में इसकी समझ में वृद्धकि करने तथा इसके बारे में रपिोर्ट करने के लयि सशक्त

दृष्टि The Vision

बनाने हेतु विभिन्न **अभियानों, कार्यशालाओं व मीडिया के माध्यम से जागरूक** किया जाना चाहिये।

- **कानूनी ढाँचे को मज़बूत करना:** पीड़ितों को बेहतर सुरक्षा और तस्करों के लिये कठोर दंड का प्रावधान करने के लिये कानूनी ढाँचे को मज़बूत बनाते हुए मौजूदा कानूनों को अधिक प्रभावी बनाना एवं आवश्यक सुधार किया जाना आवश्यक है।
    - तस्करी के निपटान और पीड़ित मामलों के संवेदनपूर्वक प्रबंधन के लिये कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पर्याप्त संसाधन व प्रशिक्षण प्रदान किये जाना चाहिये।
- **पीड़ितों के लिये सहायता और पुनर्वास**: बचे हुए लोगों के लिये आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, **परामर्श और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाली व्यापक पीड़ित-केंद्रित सहायता प्रणाली स्थापित** की जानी चाहिये।
    - पुन:एकीकरण कार्यक्रम की सहायता से बचे लोगों को अपने जीवन को पुनर्व्यवस्थित करने और बिना किसी कलंक के समाज का हिस्सा बनने मदद करना चाहिये।
- **अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग**: सीमा पार सहयोग के लिये **सूचना, खुफिया जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिये देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा** दिये जाने की आवश्यकता है।
    - मानव तस्करी के निपटान के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रोटोकॉल को अनुमोदित एवं कार्यान्वित करना।
- **मूल कारणों पर ध्यान केंद्रित करना**: समाज के कमज़ोर व सुभेद्य लोगों के लिये आजीविका के स्थायी अवसर के निर्माण और आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम तैयार करके गरीबी व आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिये।
    - समावेशिता, समानता एवं सामाजिक समर्थन संरचनाओं को बढ़ावा देकर **सामाजिक भेदभाव व बहिष्कार का निपटान किया जाना चाहिये।**

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. संसार के दो सबसे बड़े अवैध अफ़ीम उगाने वाले राज्यों से भारत की निकटता ने हार्ट की आतंरिक सुरक्षा चिताओं को बढ़ा दिया है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार एवं बंदूक बेचने, गुपचुप धन विदेश भेजने और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के बीच कड़ियों को स्पष्ट कीजिये। इन गतिविधियों को रोकने के लिये क्या-क्या प्रतिरोधी उपाय किये जाने चाहिये। (2018)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/15-12-2023/print